



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

सं0-743-विधि(वाद)-22/पाकालि/2022-3(3)-वीपी/94

दिनांक: 05 मार्च, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

“निदेशक मण्डल” की दिनांक 22.02.2022 को सम्पन्न हुई बैठक में हुए अनुमोदनानुसार उ0प्र पावर कारपोरेशन लि0 (मु0) तथा अधीनस्थ डिस्कॉम कम्पनियों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवम् खण्डपीठ लखनऊ में निवेशित CAVEAT हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व डिस्कॉम स्तर से पैनल/स्थायी अधिवक्ताओं को CAVEAT FEE Rs. 2,000/- (रु0 दो हजार मात्र) (मय फीस, क्लर्कज चार्जस एवम् टाइपिंग आदि के व्यय सहित) फीस अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति एतद्वारा तत्काल प्रभाव से प्रदान से की जाती है।

उक्त आदेश में अनुमन्य फीस दिनांक 22.02.2022 तथा उसके उपरान्त दाखिल किये गये वादों की पैरवी हेतु देय होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0-743-विधि(वाद)-22/पाकालि/22 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण के निजी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/मध्यान्चल/दक्षिणान्चल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
5. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)/(वाणिज्य स्कन्ध), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, जे-17, महानगर विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक(लेखा)/लेखाधिकारी(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
10. समस्त उप विधि अधिकारी, /सहायक विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मु0), लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता, (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

B.Ra

(भूपेन्द्र राय)

एच0जे0एस0

विधि अधिकारी